UPMZ010031972026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2274 सन 2026

अरूण पुत्र रमेश
निवासी ग्राम सिसौना थाना छपार
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या—6 सन 2026
धारा —108, 85
भारतीय न्याय संहिता
थाना—छपार
जनपद— मुजफ्फरनगर

30.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना छपार के अपराध संख्या—6 सन 2026 धारा—108, 85 भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की शादी करीब दस वर्ष पहले हुई थी और तभी से आवेदक/अभियुक्त अपने परिवार से अलग अपनी पत्नी के साथ रहता चला आ रहा था।

यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कभी भी कोई मांग अतिरिक्त दहेज की किसी प्रकार की मृतका या उसके परिजन से नहीं की गयी।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि मृतका शिवानी के शादी के बाद से काफी लम्बे समय तक भी कोई सन्तान नहीं हुई इसी कारण शिवानी पूरी तरह मानसिक रूप से परेशान रहती थी व आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसका काफी इलाज कराया गया था। मृतका के पहले भी दिमागी रूप से बीमार रहने

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.30 16:22:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की जानकारी वादी मुकदमा व उसके माता पिता का मिली थी जिस कारण वह दिमागी रूप से पीडित व परेशान रहती थी। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने शिवानी को कभी भी बांझ आदि किसी प्रकार के शब्द कहकर प्रताडित नहीं किया और न ही किसी प्रकार का कोई ताना दिया।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि घटना दिनांक 01.01.2026 की है तथा जिला अस्पताल में मृतका का पंचायतनामा भरने के समय वादी मुकदमा बहादुर व उसके अन्य परिजन मोजूद थे और वे पंचायतनामे के गवाह भी हैं। किन्तु उस समय ऐसी कोई शिकायत उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त या अन्य के विरूद्व नहीं की गयी।बाद में वाहय उददेश्यों की पूर्ति के लिये घटना के लगभग 8 दिन बाद सोच विचार कर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

अंत में कहा गया है कि मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उसके विरूद्व किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफता है तथा वह दिनांक 10.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। यह भी कहा गया है कि सह अभियुकत अंकुर की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। इस प्रकार जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र तथा सह अभियुक्त का जमानत संबंधी आदेश की प्रति दाखिल की गयी है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री शिवानी को दस वर्ष से कोई सन्तान पैदा न होने के कारण उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करते थे और उसे बांझ कहकर ताने देकर अपमानित करते थे। वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि मृतका की हत्या कारित की गयी है। कथित घटना दिनांक 01.01.2026 की है तथा मृतका का पोस्टमार्टम दिनांक 02.01.2026 को दिन के 1.55 बजे शुरू किया गया है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे मृतका की मृत्यु 12 से 24 घंटे पहले होना कहा गया है अर्थात मृतका की मृत्यु दिनांक 01.01.2026 को एक बजे के करीब हुई है और मृतका की मृत्यु की सूचना दिनांक 01.01.2026 को 7.46 बजे दी गयी है। छह सात घंटे तक मृतका की हत्या करके सूचना को दबाकर रखा गया है। यह भी कहा गया है कि मृतका की मृत्यु आवेदक/अभियुक्त के घर पर हुई है अतः यह दायित्व अभियुक्त का है कि वह बताये कि मृतका कैसे और किन परिस्थितियों में मरी है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है तथा मृतका का पति व मुख्य अभियुक्त है। उसके विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. प्राथमिकी के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादी मुकदमा बहादुर द्वारा घटना दिनांकित 01.01.2026 समय 00.00 बजे के संबंध में दिनांक 09.01.2026 को 18.26 बजे संबधित थाना छपार पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि करीब दस वर्ष पहले वादी ने अपनी पुत्री शिवानी का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अरूण के साथ किया था। विवाह के पश्चात से ही उसकी पुत्री की ससुराल वाले पति अरूण, ससुर रमेश, सास सत्तो, देवर अंकुर, जेठ विजय, जेठानी रीतू उससे रूपयों की मांग करते थे। उसकी पुत्री को पिछले दस वर्ष से कोई सन्तान नहीं हुई थी जिस कारण ससुराल वाले उसकी पुत्री को भयंकर मानसिक व शारीरिक रूप से उत्पीडन करते रहे थे और उसे बांझ कहकर ताने देकर अपमानित करते थे जिस कारण वह हमेशा दुखी और उदास रहती थी और अपने ससुरालियों के उत्पीडन की कहानी वादी मुकदमा से कई बार बतायी थी। परंतु वादी उसे समझा बुझाकर ससुराल में ही रहने की बात करता था। वादी की पुत्री ने बताया ाि कि ये लोग उसे मार सकते हैं। दिनांक 01.01.2026 को वादी के पास सिसौना के लोगों द्वारा फोन से सूचना मिली कि उसकी पुत्री शिवानी को फांसी लगाकर मार दिया है। वादी तुरंत ही गांव के शुभम, विशाल, राहुल व अन्य लोगों के साथ अपनी पुत्री की ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी पुत्री का शव खाट पर रखा था और वहां पर पुलिस पहले से मौजूद थी। उसे पता चला है कि वह अपने ससुरालियों के विरूद्व कोई पत्र लिखकर छोड गयी है। वह अब तक मेहमानों के आवागमन के कारण रिपोर्ट नहीं लिखा पाया था। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसकी पुत्री की मृत्यु उससे ससुरालियों के तानों व मानसिक तथा शारीरिक उत्पीडन के कारण हुई है।

5. अतः कथानक अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री शिवानी को दस वर्ष से कोई सन्तान पैदा न होने के कारण उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करना और उसे बांझ कहकर ताने देकर अपमानित करने का आरोप बताया गया है जिस कारण शिवानी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

विवेचना के अनक्रम में मृतका के पिता/वादी मुकदमा बहादुर तथा माता श्रीमती मिथलेश का धारा 180 बीएनएसएस का बयान विवेचक द्वारा अंकित किया गया है जिसमें उसके द्वारा प्राथमिकी के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि उसकी पुत्री को पिछले दस वर्षो से कोई सन्तान पैदा नहीं हुई जिस कारण ससुराल वाले उनकी पुत्री को मानसिक व शारीरिक उत्पीडन करते आ रहे थे और बांझ कहकर ताने देकर अपमानित करते थे।

इसके अलावा मृतका की ससुराल की पडौसी श्रीमती ममतेश का भी बयान विवेचक द्वारा अंकित किया गया है जिसमें उसने रोने और शोर शराब की आवाज सुनकर मौके पर जाकर शिवानी को बैड पर पडे देखे जाने का

कथन किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृतका शिवानी अपने देवर अंकुर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और कई बार बोल चुकी थी कि वह अंकुर से कोर्ट मैरिज करेगी। साक्षी ने मृतका के ससुरालीजन द्वारा मृतका को बच्चे की बात बोले जाने की बात स्वीकार की है। साक्षी श्रीमती ममतेश द्वारा अपने बयान में यह भी कथन किया गया है कि जिस दिन 01.01.2026 को शिवानी ने फांसी लगायी थी उस दिन उसके पति और उसमें अक्सर लडाई हुई थी। जब शिवानी के घर में रोने धोने की आवाज आने लगी तो वह वहां पर गयी थी। उस समय अरूण और गांव के लोग तथा इसकी जेठानी रीतू ने इसे फंदे से उतार लिया था और इसको अस्पताल लेकर गये थे। इसी प्रकार विवेचक द्वारा साक्षी योगेश कुमार जो मृतका की ससुराल ग्राम सिसौना का रहने वाला है, का धारा 180 बीएनएसएस का बयान अंकित किया गया है जिसमें उसने कथन किया है कि अरूण की शादी शिवानी से दस–ग्यारह वर्ष पहले हुई थी लेकिन कोई सन्तान नहीं थी। सुना है कि अरूण के भाई अंकुर व शिवानी की आपस में अच्छी बात थी और लोग बताते भी है कि शिवानी अंकुर के साथ रहना चाहती थी। इसी बात को लेकर इन लोगों में काफी मनमुटाव रहा था। इसी आशय के बयान साक्षीगण श्लेखचन्द, प्रमेन्द्र तौमर द्वारा दिये गये हैं।

इस प्रकार अब तक की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि मृतका शिवानी का विवाह आवेदक/अभियुक्त अरूण के साथ प्राथमिकी लिखाये जाने के लगभग दस वर्ष पहले हुआ था तथा शादी के बाद से ही लगातार आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण द्वारा मृतका से रूपयों की मांग करना तथा उसे बांझ कहकर ताने देकर अपमानित किया जाना कहा गया है। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट होता है कि मृतका द्वारा दिनांक 01.01.2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या किया जाना कहा गया है तथा अभियोजन का यह भी कहना है कि मृतका ससुरालियों के विरूद्व कोई पत्र लिखकर गयी है। परंतु विवेचक द्वारा इस प्रकार के किसी पत्र को संकलित कर उसे विवेचना का भाग नहीं बनाया गया है।

इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा स्वतंत्र साक्षी श्रवण कुमार का बयान केस डायरी में पर्चा संख्या 6 दिनांकित 17.01.2026 पर अंकित किया है जिसमें उसने कथन किया है कि करीब डेढ वर्ष पहले शिवानी अरूण से लडाई झगडा करके अपने मायके चली गयी थी लेकिन मायके वाले शिवानी की कहीं ओर शादी कराने की बात कर रहे थे, शिवानी ने मना कर दिया था और अरूण व उसके परिजन शिवानी को उसके घर से ले आये थे। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि शिवानी ने आत्महत्या क्यों की इसकी सही जानकारी नहीं है। विवेचक द्वारा उससे पूछताछ की गयी कि क्या रमेश या उसकी पत्नी या उसके परिवार का कोई ओर व्यक्ति शिवानी को मारता पीटता या परेशान करता था या कभी दहेज की मांग की हो तो साक्षी ने बताया कि यदि ऐसी बात होती तो शिवानी यहां क्यो आती। इसी आशय के बयान स्वतंत्र साक्षीगण जो मृतका की ससुराल कस्बा सिसौना के रहने वाले हैं, द्वारा भी किये गये हैं। आवेदक/अभियुक्त की ओर

से कहा गया है कि मृतका सन्तान न होने के कारण मानसिक रूप से परेशान रहती थी जिसका ईलाज आवेदक/अभियुक्त द्वारा कराया जाता रहा है जिसके मैडिकल प्रपत्र सुनवाई के स्तर पर फैहरिस्त सबूत से आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल किये गये हैं।

संबधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 10.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। विवेचनोपरांत मामले में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। सह अभियुक्त अंकुर की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अभियुक्त **अरूण पुत्र रमेश** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन 2,00,000/– 2,00,000/– दो दो लाख रूपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के तहत जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयेाग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

4. यह कि आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करेगा–''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।''

6. आवेदक/अभियुक्त विवेचना की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 30.06.2026

sv